भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1423
09.02.2026 को उत्तर के लिए

वायु और जल प्रदूषण

1423. श्री तमिलसेल्वन बंगाः
डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु और जल प्रदूषण देशभर में, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में, विशेष रूप से एनसीआर में, वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(घ) देश में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी राशि निर्धारित, जारी और खर्च की गई है; और
(ङ) देश में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की-गई कार्रवाई का परिणाम क्या रहा है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ड.): भोजन की आदतों, व्यावसायिक आदतों, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य-इतिहास, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि जैसे कारकों के अलावा प्रदूषण उन कारकों में से एक है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के

अधिनियमन द्वारा वायु और जल गुणवत्ता को विनियमित करता है और उक्त अधिनियमों के आधार पर वायु और जल निकायों की सुरक्षा और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न नियमों, विनियमों को अधिसूचित करता है।

उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार, औद्योगिक अपशिष्ट और उत्सर्जन उत्पन्न करने वाली सभी औद्योगिक इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों को नदियों और जल निकायों में उत्सर्जन और अपशिष्टों के विसर्जन से पहले निर्धारित मानकों का अनुपालन करना आपेक्षित है।

सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) उक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन और तरल अपशिष्टों के विसर्जन की निगरानी करती हैं और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करती हैं। सीपीसीबी ने जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए हितधारकों को मार्गदर्शन के रूप में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए सांकेतिक दिशानिर्देश जारी किए।

देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है, जो 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों/शहरी समूह में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति है। एनसीएपी के तहत सभी 130 शहरों द्वारा संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को कार्यान्वित करने के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ये योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों के उत्सर्जन, अपशिष्ट दहन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करती हैं।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा केंद्रित कार्यों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, जिसमें वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 103 शहरों में पीएम10 की सांद्रता में कमी देखी गई है, जिनमें से 64 शहरों ने पीएम10 स्तर में 20% से अधिक की कमी देखी गई है और इनमें से 25 शहरों ने 40% से अधिक की कमी हासिल की है। 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और उनमें पीएम10 की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम/मीटर^3 से कम है।

देश भर में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए तथा जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनडब्ल्यूएमपी के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) वर्तमान में नदियों पर 2265 स्थानों सहित 4922 स्थानों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत जल गुणवत्ता आंकड़ों का उपयोग जैविक सघनता के

स्तर पर आधारित प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) की पहचान के लिए किया जाता है, जिसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) सांद्रता के रूप में मापा जाता है।

सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गईं। ये कार्य योजनाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी पुनरुद्धार समितियों (आरआरसी) द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव, पर्यावरण की समग्र निगरानी और समन्वय के अधीन तैयार की गई थीं। प्रदूषित नदी खंडों की स्नान के लिए उपयुक्त जल गुणवत्ता स्तर प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गईं।

कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी द्वारा और केंद्रीय स्तर पर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

दिल्ली एनसीआर में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

एनसीएपी के तहत, वर्ष 2019-20 से अब तक वायु प्रदूषण उपशमन संबंधी उपायों को क्रियान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर निधि के रूप में 130 शहरों को 13,415.43 करोड़ रुपये का कार्य-निष्पादन संबंधी अनुदान प्रदान किया गया है। फसल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा धान के भूसे को जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेष के प्रबंधन हेतु आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26 (दिनांक 20.01.2026 तक) की अवधि के दौरान, 4173.84 करोड़ रुपये (पंजाब- 2026.45 करोड़ रुपये, हरियाणा- 1156.71 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश- रु 838.67 करोड़, मध्य प्रदेश- 45.00 करोड़ रुपये, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली - 6.05 करोड़ रुपये, आईसीएआर- 93.235 करोड़ रुपये और अन्य 7.7205 करोड़ रुपये) जारी किए गए थे। राज्यों ने व्यक्तिगत किसानों को 3.50 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं और राज्यों में 43,415 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए हैं।

एनसीएपी, राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनएएमपी), राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) और 'प्रदूषण उपशमन हेतु एसपीसीबी/पीसीसी को सहायता' के तहत प्रदान की गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-2**, **अनुलग्नक-3**, **अनुलग्नक-4** और **अनुलग्नक-5** में दिया गया है

******

अनुलग्नक-1

1. दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

i. 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021' के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए की गई है।

ii. उक्त आयोग ने अब तक इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में विभिन्न कार्यों में विशेष रूप से मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करने के लिए 95 वैधानिक निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

iii. आपात स्थितियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया है, जो वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों का एक समुच्चय प्रदान करता है, और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अभिज्ञात एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, एक ऐसी स्थिति जो आम तौर पर दिल्ली-एनसीआर में चरम शीतकाल के महीनों के दौरान बनी रहती है।

iv. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत दिल्ली-एनसीआर के 6 शहरों (अलवर, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी उपायों को क्रियान्वित करने के लिए अन्य 19 शहरों को महत्वपूर्ण अंतर वित्त पोषण प्रदान किया गया है।

v. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान के भूसे पर आधारित 27 पेलेटाइजेशन और टोरेफैक्शन संयंत्रों (पंजाब में 23, हरियाणा में 04) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की, जिनकी क्षमता वार्षिक रूप से 5.16 लाख टन धान के भूसे का उपयोग करने की है।

vi. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए 5340 सीएनजी/ई-बसों को तैनात किया गया है, जिसमें 3535 ई-बसें शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली के लिए 2800 ई-बसों और 1100 ई-ट्रकों का आवंटन किया गया है।

vii. एनसीआर क्षेत्र प्रतिभागी शहरों (फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, करनाल और अलवर) के लिए कुल 450 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, बीटीएम पावर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनसीआर क्षेत्र को अब तक कुल 35.77 करोड़ रुपये की केंद्रीय

सहायता स्वीकृत की गई है। विशिष्ट रूप से इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करके, यह योजना उत्सर्जन को कम करने और सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे तक के लिएदिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो रेल/आरआरटीएस परियोजनाओं के लिए 66,718.47 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।

viii. एनसीआर के सभी उद्योगों को अनुमोदित ईंधन में अंतरित कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 224 औद्योगिक क्षेत्रों को पीएनजी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, 6 को कैस्केड प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया गया है। एनसीआर में उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंडों को अनिवार्य करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

ix. स्वच्छ गतिशीलता को तेजी से ट्रैक करने के लिए, सीएक्यूएम द्वारा जारी किए गए दिनांक 23.12.2025 को यथासंशोधित दिशानिर्देश सं. 94 दिनांक 03.06.2025 में यह अधिदेशित किया गया है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाएं 01.01.2026 से अपने मौजूदा चार पहिया एलसीवी, चार पहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी 3.5 टन तक) और दोपहिया वाहनों के बेड़े में केवल डीजल या पेट्रोल से चलने वाले पारंपरिक आईसीई वाहनों को शामिल नहीं करेंगी। हालांकि, 31.12.2026 तक मौजूदा बेड़े में बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया वाहनों को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

x. सीएक्यूएम द्वारा पड़ोसी राज्यों से आने वाली सार्वजनिक परिवहन बसों को बीएस-6 डीजल / सीएनजी/ईवी में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 01.11.2026 से, केवल सीएनजी/ईवी/बीएस-6 डीजल बसों, जिनमें पर्यटक बसें भी शामिल हैं, को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

xi. दिल्ली में गैर-बीएस-IV कम माल, मध्यम माल और उच्च माल वाहनों के वाणिज्यिक माल वाहनों के प्रवेश को दिनांक 01.11.2025 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें 31.10.2026 तक बीएस-6 वाहनों के लिए सीमित, समयबद्ध छूट है।

xii. निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए, 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाली निर्माण परियोजनाओं को वीडियो फेंसिंग, रिमोट एक्सेस, मानकीकृत चेकलिस्ट, पाक्षिक स्व-ऑडिट और पीएम 2.5 / पीएम 10 मॉनिटर की स्थापना के प्रावधानों के साथ, एसपीसीबी / डीपीसीसी पोर्टलों पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

xiii. सीएक्यूएम द्वारा नियमित समीक्षा के साथ, दिल्ली-एनसीआर में सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा 70 धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। राज्यों और जीएनसीटीडी ने धूल

नियंत्रण के लिए अवसंरचना को बढ़ाया है, जिसमें मशीनीकृत सड़क स्वीपिंग मशीनें, पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन शामिल हैं।

2. **गंगा नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए उपाय :**

i. गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का आकलन सीपीसीबी द्वारा 5 मुख्य गंगा नदी वाले राज्यों उत्तराखंड (19), उत्तर प्रदेश (41), बिहार (33), झारखंड (4) और पश्चिम बंगाल (15) में 112 स्थानों पर पाक्षिक आधार पर निगरानी के माध्यम से किया जाता है।

ii. जीपीआई का वार्षिक निरीक्षण: सकल प्रदूषणकारी उद्योग (जीपीआई) ऐसे उद्योग हैं जिनमें 100 किलोग्राम / दिन और / या विषाक्त अपशिष्टों का बीओडी भार डालने की क्षमता है। यह गतिविधि 2017 से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा वित्त पोषित प्रदूषण सूचीकरण आकलन और निगरानी (पीआईएएस) परियोजना के तहत की जाती है।

iii. जीपीआई की सूची को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के परामर्श से वार्षिक आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

iv. निरीक्षण तकनीकी संस्थानों और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा किया जाता है।

v. निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा की जाती है। गैर-अनुपालन करने वाले जीपीआई की भौतिक सत्यापन, सीलिंग और बिजली का डिस्कनेक्शन जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से लागू किया जाता है। जिलाधिकारियों के माध्यम से 2017 में 358 जीपीआई (26 जिलों), 2018 में 325 जीपीआई (29 जिलों), 2019 में 131 जीपीआई (33 जिलों), 2020 में 171 जीपीआई (18 जिलों), 2022 में 177 जीपीआई (25 जिलों), 2023 में 239 जीपीआई (29 जिलों) और 2024 में 98 जीपीआई (30 जिलों) को बंद करना सुनिश्चित किया गया था।

3. यमुना नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए उपाय :

i. सीपीसीबी के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत उत्तराखंड (04 स्थान), हिमाचल प्रदेश (04 स्थान), हरियाणा (06 स्थान), दिल्ली (07 स्थान) और उत्तर प्रदेश (12 स्थान) के एसपीसीबी द्वारा 33 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

ii. उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के यमुना मुख्य स्टेम वाले राज्यों में काम करने वाले सकल प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण 2020 से आईआईटी, एनआईटी और एसपीसीबी/पीसीसी जैसे तकनीकी संस्थानों के अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा किया जा रहा है।

iii. निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा की जाती है। गैर-अनुपालन करने वाले जीपीआई की भौतिक सत्यापन, सीलिंग और बिजली का डिस्कनेक्शन जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से लागू किया जाता है। जिलाधिकारियों के माध्यम से 2021 में 372 जीपीआई (24 जिलों), 2022 में 270 जीपीआई (19 जिलों) और 2023 में 300 जीपीआई (29 जिलों) तथा 2024 में 322 जीपीआई (28 जिलों) का भौतिक सत्यापन, सीलिंग और बिजली का डिस्कनेक्शन सुनिश्चित किया गया।

iv. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से यमुना नदी सहित 13 प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जारी की है, जिसमें राज्यों में अन्य विभागों की योजनाओं का वन हस्तक्षेप और अभिसरण तथा भारत सरकार से वित्त पोषण सहायता शामिल है। अब तक, 1311.74 वर्ग मी. यमुना नदी बेसिन के 1000 वर्ग किमी क्षेत्र को प्राकृतिक परिदृश्य, वनीकरण और मिट्टी और नमी संरक्षण के तहत उपचारित किया गया है।

v. इसके अलावा, वर्ष 2024-25 तक, केंद्रीय वन प्रभाग, सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत यमुना बाढ़ मैदानों के साथ-साथ वनीकरण और वृक्षारोपण गतिविधियां शुरू की गईं। दिल्ली के एनसीटी के कुल 271.248 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,11,203 पौधे लगाए गए।

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के लिए एनसीएपी के तहत राज्यवार निधि आवंटन, रिलीज और उपयोग का अनुलग्नक (करोड़ रूपये में) (05.02.2026 तक)					
क्र. सं.	**राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश**	**आवंटन**	**जारी किया**	**उपयोग**	**उपयोग % में**
1	गुजरात	1533.00	1282.98	1131.00	88.15
2	राजस्थान	1151.17	687.45	598.02	86.99
3	मध्य प्रदेश	1234.52	834.65	710.64	85.14
4	महाराष्ट्र	3334.03	1794.85	1512.05	84.24
5	बिहार	870.13	380.17	295.82	77.81
6	हिमाचल प्रदेश	29.43	22.84	17.24	75.48
7	उत्तर प्रदेश	3799.28	3127.66	2359.21	75.43
8	छत्तीसगढ	427.74	302.95	227.00	74.93
9	कर्नाटक	1210.60	625.93	468.99	74.93
10	असम	156.52	108.72	80.51	74.05
11	ओडिशा	195.76	107.54	79.30	73.74
12	चंडीगढ़	55.17	43.37	31.17	71.87
13	तेलंगाना	906.05	739.67	529.67	71.61
14	पश्चिम बंगाल	1685.24	1326.87	938.64	70.74
15	तमिलनाडु	903.68	789.65	550.46	69.71
16	पंजाब	542.69	399.94	277.30	69.34
17	झारखंड	604.00	279.44	190.24	68.08
18	उत्तराखंड	148.39	102.97	65.45	63.56
19	नागालैंड	31.04	31.13	19.20	61.68
20	मेघालय	11.64	12.16	6.42	52.80
21	हरियाणा	182.00	107.14	53.26	49.71
22	आंध्र प्रदेश	734.86	474.79	230.57	48.56
23	जम्मू और कश्मीर	278.13	188.00	79.65	42.37
24	दिल्ली	103.29	81.36	15.74	19.35
	कुल	**20130**	**13852.23**	**10467.55**	**75.57**

अनुलग्नक-III

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएएमपी के तहत रात्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रांतीय सिविल सेवा को जारी किए गए निधि का ब्यौरा।

राज्य का नाम	**कुल निधि**
अंडमान और निकोबार (यूटी)	6,176,000
आंध्र प्रदेश	115,839,000
अरुणाचल प्रदेश	12,629,338
असम	84,523,666
बिहार	17,117,000
चंडीगढ़ (यूटी)	9,221,334
छत्तीसगढ़	29,729,668
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (यूटी)	16,197,000
गोवा	112,135,249
गुजरात	53,511,582
हरियाणा	2,020,000
हिमाचल प्रदेश	89,258,044
जम्मू और कश्मीर (यूटी)	29,795,333
झारखंड	78,896,000
कर्नाटक	88,849,333
केरल	42,996,997
लक्षद्वीप (यूटी)	1,700,000
मध्य प्रदेश	26,167,000
महाराष्ट्र	95,484,001
मणिपुर	18,327,336
मेघालय	49,868,001
मिजोरम	62,111,334
नागालैंड	52,798,667
ओडिशा	71,227,627
पांडिचेरी (यूटी)	13,200,000
पंजाब	81,120,999
राजस्थान	66,239,000

सिक्किम	36,334,000
तमिलनाडु	62,786,667
तेलंगाना	54,417,999
त्रिपुरा	10,908,667
उत्तर प्रदेश	161,851,800
उत्तराखंड	48,853,667
पश्चिम बंगाल	180,482,333
कुल	1,899,641,309

अनुलग्नक-IV

एनडब्ल्यूएमपी के तहत पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान जल गुणवत्ता डेटा के लिए नमूनाकरण और विश्लेषण शुल्क की प्रतिपूर्ति एसपीसीबी/पीसीसी को की जाएगी।

एसपीसीबी/पीसीसी	राशि रु. में
आंध्र प्रदेश	24,420,634.70
अरुणाचल प्रदेश	983,611.00
असम	52,262,300.00
बिहार	15,088,589.60
छत्तीसगढ	7,923,045.00
गोवा	20,919,810.00
गुजरात	26,176,408.30
हरियाणा	5,200,957.70
हिमाचल प्रदेश	55,117,320.00
जम्मू और कश्मीर	13,643,070.00
झारखंड	12,143,830.00
कर्नाटक	57,485,393.00
केरल	33,310,753.70
मध्य प्रदेश	40,324,983.30
महाराष्ट्र	49,323,529.50
मणिपुर	11,291,240.00
मेघालय	24,128,240.00
मिजोरम	17,412,650.00
नागालैंड	19,529,550.00
ओडिशा	38,678,054.80
पंजाब	18,906,586.30
राजस्थान	14,809,734.80
सिक्किम	3,895,140.00
तमिलनाडु	23,866,107.30
तेलंगाना	41,415,731.00
त्रिपुरा	17,104,260.00
उत्तर प्रदेश	13,045,739.00
उत्तराखंड	8,208,624.00
पश्चिम बंगाल	16,999,989.30

चंडीगढ़	1,944,480.00
लक्षद्वीप	1,842,180.00
पुदुचेरी	2,692,123.00
दमन दीव और दादरा नगर हवेली	7,323,667.00
दिल्ली **	2,771,253.10
कुल	700,189,585.40

** जुलाई, 2021 के दौरान एनडब्ल्यूएमपी के तहत निगरानी स्थानों को दिल्ली पीसीसी को मंजूरी दी गई थी, जिनकी पहले सीपीसीबी, एचओ - दिल्ली द्वारा निगरानी की जाती थी

अनुलग्नक- V

प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं (एसपीसीबी/पीसीसी) को "प्रदूषण निवारण हेतु सहायता" के तहत जारी निधि का विवरण (वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25)" जारी निधि का विवरण		
क्र. सं.	राज्य	जारी की गई कुल राशि (रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	10000000
2	आंध्र प्रदेश	212950951
3	अरुणाचल प्रदेश	63590857
4	असम	271695333
5	बिहार	108868000
6	चंडीगढ़	50000000
7	छत्तीसगढ	95704134
8	दिल्ली	33387290
9	गोवा	40000000
10	गुजरात	322259915
11	हरियाणा	44030243
12	हिमाचल	50000000
13	जम्मू और कश्मीर	32248500
14	झारखंड	29200000
15	कर्नाटक	80932770
16	केरल	84085000
17	लक्षद्वीप	15000000
18	मध्य प्रदेश	44067761
19	महाराष्ट्र	238584605
20	मणिपुर	40000000
21	मेघालय	69516255
22	मिजोरम	109520000
23	नागालैंड	105000000
24	ओडिशा	83919717
25	पुदुचेरी	35000000
26	पंजाब	185089457
27	राजस्थान	104918131
28	सिक्किम	67004000
29	तमिलनाडु	91183122

30	तेलंगाना	48960091
31	त्रिपुरा	106045700
32	उत्तर प्रदेश	534513061
33	उत्तराखंड	36656051
34	पश्चिम बंगाल	184160702
35	सीपीसीबी	191500000
36	लद्दाख	5000000
	कुल	**3824591646**

***